प्रेस विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या-2906/नौ-6-2018-53ज/2017 दिनांक 23 सितम्बर, 2018 जिसके द्वारा जनपद की 02 नगर निकाय नगर पंचायत माहुल एवं कटघर लालगंज को पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत चयनित किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-6 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में दोनों नगर पंचायतों में निवास करने वाले व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाएं, जैसे पेयजल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, सड़को/गलियों के निर्माण हेतु कार्ययोजना/डी0पी0आर0 लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर तैयार कराने हेतु कम से कम 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव रखने वाले आर्कीटैक्ट/टाउन प्लानर के चयन करने की व्यवस्था की गयी है।

जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश दिनांक 03.12.2018 के अन्तर्गत इस प्रयोजन हेतु गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 07.12.2018 में लिये गये निर्णय और शासनादेश के अनुसार कार्यवाही कराये जाने के आदेश के अनुपालन में पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत चयनित नगर पंचायतों में मूलभूत नागरिक सुविधायें यथा पेयजल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, सड़को/गलियों के निर्माण हेतु कार्ययोजना/डी0पी0आर0 तैयार कराने हेतु 05 वर्ष के कार्य का अनुभव रखने वाले आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर के चयन हेतु एक सप्ताह के भीतर यानि 14.12.2018 की सॉय 5.00 बजे तक निम्न प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता हैः-

आवेदन पत्र का प्रारूप

1- आवेदक का नाम-
2- पिता का नाम-
3- पता-
4- जन्म तिथि-
5- शैक्षिक योग्यता (आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित प्रति संलग्न किया जायेगा)
6- अनुभव प्रमाण पत्र (कम से कम 05 वर्ष का अनुभव संलग्न किया जायेगा)
7- आवेदक का मोबाईल नम्बर

स्व प्रमाणित फोटो

शासन द्वारा आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर के पारिश्रमिक के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्ते निर्धारित की गयी है-चयनित आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान अनुश्रवण की कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके लिए इन्हें कुल परियोजना मूल्य का अधिकतम 02 प्रतिशत की दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

आवेदन पत्र ए4 साइज पेपर पर **"कार्यालय जिलाधिकारी कक्ष संख्या 54 प्रोटोकाल अनुभाग द्वितीय तल कलेक्ट्रेट आजमगढ़" (276001)** के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाय। दिनांक 14.12.2018 की सॉय 5.00 बजे के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ आवेदक का पता लिखा एक सादा लिफाफा भी आवश्यक है जिसे पंजीकृत भेजने हेतु पोस्टल टिकट लगा होना चाहिए। प्राप्त आवेदन पत्रों को सूची बद्ध करने के उपरान्त आगामी कार्यवाही हेतु एन0आई0सी0 की वेबसाइट एवं उपलब्ध संसाधनों से सूचित किया जायेगा।

(नरेन्द्र सिंह)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
प्रभारी अधिकारी (स्था0नि0)
सदस्य सचिव, चयन समिति
आजमगढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी आजमगढ़।

संख्या 1208 /टी0ए0सी0 दिनांक 07 दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1- जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2- अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 आजमगढ़।
3- सहयुक्त नियोजक सम्भागीय नियोजन खण्ड नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग उ0प्र0 आजमगढ़।
4- अपर जिला सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ कि एन0आई0सी0 के बेवसाईड पर उक्त विज्ञप्ति अपलोड करें।
5- सहायक निदेशक सूचना आजमगढ़।
6- प्रधान संपादक दैनिक समाचार पत्र, अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान आजमगढ़ को इस आशय के साथ कि प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन अपने समाचार पत्र में कराये तथा भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करें जो नगर पंचायत माहुल से देय होगी।
7- प्रधान संपादक स्थानीय समाचार पत्र दैनिक देवब्रत को इस आशय के साथ कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन अपने समाचार पत्र में कराये तथा भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करें जो नगर पंचायत कटघर लालगंज से देय होगी।
8- अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कटघर लालगंज एवं माहुल जनपद आजमगढ़ को उपरोक्तानुसार अनुपालन हेतु।

7.12.18

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
प्रभारी अधिकारी (स्था0नि0)
आजमगढ़।